भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

17.12.2025 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2847 का उत्तर

उत्तरी रेलवे क्षेत्र में 'मेरी सहेली' पहल

2847. एडवोकेट प्रिया सरोज:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में महिला यात्रियों द्वारा उत्पीड़न और चोरी के कुल कितने मामले रिपोर्ट किए गए हैं;

(ख) 'मेरी सहेली' पहल के अंतर्गत वर्तमान में उत्तर रेलवे क्षेत्र में कितनी ट्रेनों में आरपीएफ/जीआरपी महिला कांस्टेबलों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है;

(ग) वाराणसी-लखनऊ सेक्टर में चलने वाली उपनगरीय और यात्री ट्रेनों के महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सामान्य और शयनयान डिब्बों में आपातकालीन स्थिति में उपयोग हेतु आपात-बटन लगाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'कानून व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार, राज्य सरकारें अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराध की रोकथाम, उनका पता लगाने, पंजीकरण और जांच करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने आदि के लिए उत्तरदायी हैं। रेल सुरक्षा बल यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर संरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए राजकीय रेल पुलिस/जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता करता है।

भारतीय रेल में महिला यात्रियों के साथ हुए अपराध के मामलों का राज्य-वार ब्यौरा राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा 'भारत में अपराध' में प्रकाशित किया जाता है।

'मेरी सहेली' पहल की शुरूआत लंबी दूरी की गाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान अर्थात् प्रस्थान स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक बेहतर सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। वर्तमान में, उत्तर रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर 32 'मेरी सहेली' दलों को तैनात किया गया है। यह दलें अकेली यात्रा करने वाली महिला यात्री को यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली सुरक्षा उपायों के बारे में और संकट के समय सहायता मांगने के लिए उपलब्ध चैनलों के बारे में बताती हैं। यात्रा के मार्ग में आने वाले आरपीएफ पोस्टों को भी अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के जाने के बारे में पहले से सूचित किया जाता है और किसी भी स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए उच्च सतर्कता पर रखा जाता है। इसके साथ ही, उत्तर रेलवे के अतिसंवेदनशील खंडों में महिला रे.सु.ब. और रा.रे.पु. कार्मिकों द्वारा 10 गाड़ियों का मार्गरक्षण किया जा रहा है। उत्तर और पूर्वोत्तर रेलवे में उपनगरीय (एमईएमयू/डीईएमयू) गाड़ी परिचालन के लिए 130 महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों को यात्री सुरक्षा बढ़ाने हेतु सवारीडिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

भारतीय रेल पर यात्रियों की संरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए चल स्टॉक का सुधार/उन्नयन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है।

वंदे भारत गाड़ियों के प्रत्येक डिब्बे में 4 आपातकालीन टॉक बैक इकाई का प्रावधान किया गया है। यह आपात परिस्थितियों में गाड़ी प्रबंधकों/लोको-पायलटों के साथ यात्रियों के संवाद को सुकर बनाता है। वंदे भारत गाड़ी में यात्री आपातकालीन अलार्म बटन का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन उपयोग के लिए प्रत्येक डिब्बे में 4 ऐसे पुश बटन का प्रावधान किया गया है।
